

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर - 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल : aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F2(ग)(1)अलेसे I/600

दिनांक :- 21/09/2019

आदेश संख्या : 193/19-20

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में तुरंत प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.स. (1)	लिक नम्बर (2)	नाम (सर्वश्री) (3)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम (4)	नव पदस्थापन कार्यालय का नाम (5)	विशेष विवरण (6)
1.	2888	मुरारी लाल वर्मा, सलेअ-1	वित्त (व्यय-2), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
2.	1836	नरेन्द्र कुमार जैन, सलेअ-1	उपकोषाधिकारी, पीसांगन, (अजमेर)	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय (छात्र), नसीराबाद (अजमेर)	रिक्त पद पर
3.	8614	गिरिराज व्यास, सलेअ-1	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय (छात्र), जायल(नागौर) (स्थानान्तरणाधीन)	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मंगलाना (नागौर)	रिक्त पद पर
4.	4327	कुलदीप भार्गव, सलेअ-1A	निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर	प्राचार्य, राजकीय महिला पोलोटेक्निक कॉलेज (जीडब्लूपी), सांगानेर (जयपुर)	श्री शब्बीर खान के स्थान पर
5.	5656	शब्बीर खान, सलेअ-1A	प्राचार्य, राजकीय महिला पोलोटेक्निक कॉलेज (जीडब्लूपी), सांगानेर (जयपुर) (स्थानान्तरणाधीन)	निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर	श्री कुलदीप भार्गव के स्थान पर
6.	1834	रमेश कुमार खत्री, सलेअ-1A	जिला सत्र एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर (स्थानान्तरणाधीन)	संयुक्त निदेशक, उद्यान विभाग, जोधपुर	रिक्त पद पर
7.	4317	घनश्याम लाल कुमावत, सलेअ-1A	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, परिवन विभाग (दक्षिण), जयपुर	सामान्य प्रशासन मन्त्रीमण्डल, शासन सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर

विभागीय आदेश क्रमांक 187/19-20 दिनांक 16.09.2019 के माध्यम से श्री कृष्णकान्त शर्मा, सलेअ-1A (4671) का कार्यालय उपकोषाधिकारी (पेंशन), भरतपुर से आयुक्त, नगर निगम, भरतपुर में, विभागीय आदेश क्रमांक 187/19-20 दिनांक 16.09.2019 के माध्यम से श्री लोकेन्द्र सिंह, सलेअ-1A (2748) का कार्यालय आयुक्त, नगर निगम, भरतपुर से उपकोषाधिकारी (पेंशन), भरतपुर में, विभागीय आदेश क्रमांक 187/19-20 दिनांक 16.09.2019 के माध्यम से श्री अशोक कुमार बुनकर, सलेअ-1A (3587) का कार्यालय निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर से अतिरिक्त आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (माडा), जयपुर में एवं विभागीय आदेश क्रमांक 269/17-18 दिनांक 24.12.2017 के माध्यम से श्री मदन मोहन गुप्ता, सलेअ-1A (5961) का कार्यालय उपशासन सचिव, कार्मिक(क-1) विभाग, सचिवालय, जयपुर से सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में किये गये स्थानान्तरण एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग की स्वीकृति क्रमांक प02(1)वित्त/राजस्व/2019 दिनांक 21.09.2019 की पालना में लोकहित में जारी किये जाते हैं।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर को वित्त (राजस्व) विभाग की स्वीकृति क्रमांक प02(1)वित्त/राजस्व/2019 दिनांक 21.09.2019 के क्रम में ।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर लेख है कि सम्बंधित कार्मिक को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नव पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
3. कोषाधिकारी.....
4. श्रीसहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फैक्स अथवा विभागीय ई-मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये।
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I / कार्मिक II / कार्मिक III) कार्यालय हाजा।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)